02/11/24	पत्रावली प्रार्थी प्रेमसिंह के विरुद्ध तकनी आवेदन पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मुख्य राजीनामा होने के कारण वादिका एक वाद को दायर करना नहीं चाहती है उसका लिखा जवाब जाये। प्रार्थी/वादिका की पहचान व वादिका की राजीखुशी हम की गई। अतः प्रार्थी के निवेदन पर वाद वादिका बिना लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल फैसल शुमार हो।

प्रेमसिंह

परिचायक

उपखण्ड अधिकारी